भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF INDIA
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

S.No. PC-VII/ 127
No. PC-V/2016/MACPS/1

RBE No. 23/2019
New Delhi, dt. 12-02-2019

The General Managers
All Indian Railways
and PUs.

Sub: Fixation of pay of the employees who got promoted to the post of higher Pay level after being granted the benefit of pay fixation on grant of financial upgradation under MACPS.

The issue regarding regulation of pay fixation when the promotion to a higher pay level takes place in the 7th CPC period after the employee has already availed the benefit of pay fixation on grant of financial upgradation under MACPS has been under consideration for quite some time. It has been decided in consultation with DoP&T that the pay fixation benefit on grant of MACP after 7th CPC may be regulated in the following manner:-

(i) Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under the Scheme [as prescribed in Para 13 of RS(Revised Pay) Rules, 2016].

(ii) There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same pay level as granted under MACPS.

(iii) However, at the time of actual promotion if it happens to be in a post carrying higher pay level than what is available under MACPS, then he shall be placed in the level to which he is promoted-at a cell in the promoted level equal to the figure being drawn by him on account of MACP. If no such cell is available in the level to which promoted, he shall be placed at the next higher cell in that level. The employee may have an option to get this fixation done either on the date of promotion or w.e.f. the date of next increment as per the option to be exercised by him.

2. This has the approval of the Finance Directorate of Ministry of Railways.

3. Hindi version is enclosed.

(Subhankar Dutta)
Dy. Director, Pay Commission-V
Railway Board

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) / (RAILWAY BOARD)

क्र.सं. पीसी-VII/127 | **आरबीई सं. 23/2019**
सं.पीसी-V/2016/एमएसीपीएस/1 | **नई दिल्ली, दिनांक 12.02.2019**

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,

विषय: उच्चतर वेतन लेवल के पद पर पदोन्नत किए गए कर्मचारियों को एमएसीपीएस के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने पर वेतन निर्धारण का लाभ दिए जाने के पश्चात् वेतन निर्धारित करना।

उच्चतर वेतन लेवल में पदोन्नत किए गए कर्मचारियों को एमएसीपीएस के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने पर वेतन निर्धारण का लाभ पहले से दिए जाने के पश्चात् 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अवधि में वेतन निर्धारण को विनियमित करने से संबंधित मामले पर पिछले कुछ समय से विचार किया जा रहा है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से यह विनिश्चय किया गया है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पश्चात् एमएसीपी प्रदान करने पर वेतन निर्धारण के लाभ निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:-

(i) इस योजना के अंतर्गत नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन निर्धारण के लाभ वित्तीय अपग्रेडेशन के समय भी अनुमेय होंगे [आरएस (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के पैरा 13 में यथा निर्धारित]।

(ii) बहरहाल, नियमित पदोन्नति के समय अगला वेतन निर्धारण नहीं होगा, यदि कर्मचारी उसी वेतन लेवल में हो, जो एमएसीपीएस के अंतर्गत प्रदान किया गया हो।

(iii) बहरहाल, वास्तविक पदोन्नति के समय, यदि एमएसीपीएस के अंतर्गत मौजूद लेवल से उच्चतर वेतन लेवल वाले पद पर ऐसी स्थिति होती है तो कर्मचारी को एमएसीपी के अनुसार लिए जा रहे वेतन के समान, पदोन्नति लेवल के उस सेल पर रखा जाएगा, जिस लेवल पर उसकी पदोन्नति हुई हो। यदि उक्त लेवल में ऐसा कोई सेल उपलब्ध न हो, जिस पर पदोन्नति हुई हो, तो उसे उस लेवल में मौजूद अगले उच्चतर सेल में स्थापित किया जाएगा। कर्मचारी के पास विकल्प है कि वह पदोन्नति की तारीख से वेतन निर्धारण कर सकता है अथवा उसके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार अगली वेतनवृद्धि की तारीख से वेतन निर्धारण कर सकता है।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(सुभांकर दत्ता)
उप निदेशक, वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड